न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 95/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गिरधारी पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी गोरेडीचांचा तहसील डेगाना के का.मु. 1 परमादेवी पत्नी गिरधारीराम 2 राजेन्द्र पुत्र गिरधारीराम 3 गजेन्द्र पुत्र गिरधारीराम 4 सुमन पुत्री गिरधारीराम		1राज. सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना। 2 पटवारी हल्का, गोरेडीचांचा।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 12.06.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 259/2017 सरकार बनाम गिरधारी में निर्णय दिनांक 21.11.17 के तहत मौजा गोरेडीचांचा के खसरा नं. 555/324 रकबा 0.0310 हैक्ट. बा. प्रथम सरकारी भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.12.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.12.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। दौराने अपील अपीलांट गिरधारी दिनांक 02.02.18 को फौत हो जाने से आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.18 स्वीकार कर उसके वारिसान को अपीलांट्स रिकार्ड पर लिया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है।

2}(II)–अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण व कब्जा नही किया है। बल्कि अपीलांट का जिस भूमि पर कब्जा है। वह भूमि अपीलांट की पट्टासुदा भूमि है तथा ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के द्वारा पट्टा सं. 67 दिनांक 10.12.74 को नियमानुसार अपीलांट के पिता परसाराम पुत्र भोमाराम के पक्ष मे जारी किया गया था। जिस पट्टे को नही मानने का कोई कारण भी नही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टासुदा भूमि होते हुए भी अपीलांट को अतिक्रमी मानने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट के पक्ष में जो पट्टा जारी हो रखा है। वह भूमि आबादी भूमि के अन्तर्गत आती है तथा आबादी भूमि होने से तहसीलदार को 91 की कार्यवाही करने का व अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नही था। फिर भी तहसीलदार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विधि विरूद्व कार्यवाही कर आदेश पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–पटवारी हल्का ने सरकारी भूमि का व आबादी भूमि का बिना कोई नाप किये ही बिना मौके पर आये ही राजनैतिक पार्टी बाजी की वजह से अपीलांट को पट्टासुद व स्वामित्वसुदा भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित करने की गरज से झूठी व मिथ्या रिपोर्ट अपीलांट के बाले बाले ही तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिस रिपोर्ट का कानून की निगाह में कोई मान्यता नही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की ऐसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को अतिक्रमी मानने में बडी भारी भूल की है। जबकि खसरा नं. 555/324 व 324 की भूमि श्मशानभूमि व कब्रिस्तान की भूमि में दबी हुई भूमि है तथा श्मशान व कब्रिस्तान की भूमि में दबी हुई होना पटवारी हल्का की नाप रिपोर्ट सन

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

1983 की रिपोर्ट से साबित है। लेकिन श्मशानभूमि व कब्रिस्तान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पटवारी हल्का ने अपीलांट के खिलाफ झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि में बने हुए पट्टासुदा भूमि से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि तहसीलदार को अपीलांट के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही करने का व बेदखल करने का आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था। फिर भी तहसीलदार ने सारी कार्यवाही विधि विरूद्व की है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट का पट्टासुद भूमि व खरीद सुदा भूमि पर सन 1988 से कब्जा व स्वामित्व रहता चला आया है तथा पक्का मकान बना हुआ है तथा पट्टासुद भूखण्ड से व मकान से बेदखल करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम गोरेडीचांचा में स्थित गै.मु. बा. प्रथम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके गोरेडीचांचा के खसरा नंबर 555/324 रकबा 0.0310 बीघा बा. प्रथम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि है। आराजी भूमि आबादी क्षेत्र की हो। ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पत्रावली पर नही है तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान